

संख्या: ई0 एक्स0 एन0-डी(4)-2/2024

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य कर एवं आबकारी

प्रेषित

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

शिमला -4.

दिनांक: शिमला-171002.

16 दिसंबर, 2024.

विषय:-

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के वर्तमान सत्र में रखने बारे नोटिस।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है कि मैं हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 38) को विधान सभा के वर्तमान सत्र में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

विधेयक की 100 प्रतियां (तीन अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) संलग्न हैं। आपसे अनुरोध है कि इस विधेयक को विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए कार्यसूची में शामिल करने की कृपा करें।

भवदीय,

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री
हिमाचल प्रदेश।

संलग्न: यथोपरि।

पृष्ठांकन संख्या: ई0एक्स0एन0-डी0(4)-2/2024

दिनांक- शिमला-02

16.12.2024

1. प्रधान सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02.
2. सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनांक 12.12.2024 के मद संख्या: 43 के संदर्भ में लिए गए निर्णय के संबंध में।
3. आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-09 को उपरोक्त विधेयक की तीन प्रतियों सहित।

(हरबंस सिंह ब्रसकोन)
विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 21 का संशोधन।
3. धारा 34 का संशोधन।
4. धारा 45 का संशोधन।
5. धारा 51 का संशोधन।
6. धारा 56 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संक्षिप्त नाम। (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

5

2. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें धारा 21 का संशोधन। इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 21 की उपधारा (8) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

10

"परन्तु निर्धारण प्राधिकारी, सम्बद्ध जोन के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा, प्रवर्तन और सहबद्ध कर) के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे संदाय की तारीख को बढ़ा सकेगा किन्तु नब्बे दिन से अधिक नहीं, या पर्याप्त प्रतिभूति या बैंक गारन्टी के विरुद्ध तीन से अनधिक मासिक किश्तों द्वारा संदाय अनुज्ञात कर सकेगा।"

3. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (6) के परन्तुक के स्थान धारा 34 का संशोधन। पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

15

"परन्तु जहां किसी माल को निरुद्ध किया जाता है, वहां माल निरुद्ध करने वाले अधिकारी द्वारा, सम्बद्ध जोन के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा, प्रवर्तन और सहबद्ध कर) को तुरन्त और किसी भी दशा में माल निरुद्ध करने के चौबीस घण्टे के भीतर, रिपोर्ट की जाएगी, जब कभी माल को चौबीस घण्टे से अधिक की किसी

अखिल प्रजापति
सुरवादि

मुख्यमन्त्री
हिमाचल प्रदेश

अवधि के लिए निरुद्ध करना अपेक्षित हो तो इसके पश्चात्कथित की अनुज्ञा मांगी जाएगी और यदि पश्चात्कथित से कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो पहला यह धारणा कर सकेगा कि उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है ।”।

धारा 45 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 45 में,—

5

- (i) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन पारित प्रत्येक मूल आदेश से, अपील निम्नलिखित को होगी:—

- (क) यदि आदेश किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा या चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जो राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा किया जाता है, तो संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा, प्रर्वतन और सहबद्ध कर) को; 10

(ख) यदि आदेश संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाता है, तो आयुक्त या राज्य मुख्यालय में तैनात अतिरिक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त को; 15

(ग) यदि आदेश आयुक्त या आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने वाले राज्य मुख्यालय में तैनात अतिरिक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाता है तो अधिकरण को।” और 20

- (ii) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) राज्य मुख्यालय में तैनात संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा, प्रर्वतन और सहबद्ध कर) या अतिरिक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त या आयुक्त 25

द्वारा या किसी अधिकारी, जिस पर आयुक्त की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, द्वारा अपील में पारित आदेश, आगे अधिकरण को अपीलीय होगा।”।

5. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के स्थान पर धारा 51 का
5 निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- संशोधन।

10 “(1) आयुक्त या सम्बद्ध वृत का कोई अधिकारी, जो सहायक आयुक्त (माल और सेवा कर और सहबद्ध कर) से नीचे की पंक्ति का न हो, धारा 50 या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कार्यवाहियां संस्थित करने से या तो पूर्व या पश्चात्, ऐसे अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति से, अपराध के शमन स्वरूप कर की रकम के दो गुणा के बराबर धन राशि स्वीकार कर सकेगा, जो विक्रयों या क्रयों के आवर्त पर, जिससे कि अपराध सम्बन्धित हो, संदेय होती, जो भी अधिकतर हो।”।

- 15 6. मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (3) के खण्ड (ज) के पश्चात् परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- धारा 56 का संशोधन।

20 “परन्तु खण्ड (क), (च) और (छ) में उल्लिखित सूचना सम्बद्ध जोन के संयुक्त राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (करदाता सेवा, प्रवर्तन और सहबद्ध कर) द्वारा तभी प्रकट किए जाने के लिए अनुज्ञात की जा सकेगी, जब इस निमित्त किए गए आवेदन की छानबीन के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, उसका समाधान हो जाता है कि प्रकटीकरण इस उप-धारा के अधीन अनुज्ञेय है।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य कर एवं आबकारी विभाग का पुनर्गठन सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या ई.-एक्स.-एन.-बी(1)-1/2021 तारीख 19-01-2024 और संमसंख्यांक अधिसूचना तारीख 29-01-2024 और 29-8-2024 द्वारा दो खण्डों अर्थात् आबकारी खण्ड और माल और सेवा कर खण्ड में किया गया है।

अतः विभाग के पुनर्गठन परिणामस्वरूप, अब नवगठित (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर खण्ड में पुरानी चार स्तरीय संरचना (मुख्यालय-जोन-जिला-वृत्त) के स्थान पर तीन स्तरीय संरचना (मुख्यालय-माल और सेवा कर जोन-माल और सेवा कर वृत्त) है। इसके परिणामस्वरूप, (माल और सेवा कर खण्ड/सहबद्ध कर खण्ड संरचना में जिला प्रभारी का पद अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए विभाग के पुनर्गठन के साथ संरेखित करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

धर्मशाला।

तारीख:.....2024

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)

मुख्य मन्त्री।

अधिप्रक्रागत
सुखविन्दर सिंह

मुख्यमन्त्री
हिमाचल प्रदेश

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

अधिप्राणित

सुखविन्दर सिंह
मुख्यमन्त्री
हिमाचल प्रदेश

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

धर्मशाला:

तारीख:....., 2024

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबन्धों के उद्धरण।

धाराएं:-

21. कर का निर्धारण.-

(1) से (7) XXX XXX XXX

(8) इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति या ब्याज की रकम ब्यौहारी द्वारा ऐसी तारीख तक, जो उस प्रयोजन के लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए, संदत्त की जाएगी और इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से पन्द्रह दिन से कम नहीं होगी और तीस दिन से अधिक नहीं होगी :

परन्तु निर्धारण प्राधिकारी, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिले के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे संदाय की तारीख को बढ़ा सकेगा किन्तु नव्वे दिन से अधिक नहीं, या पर्याप्त प्रतिभूति या बैंक गारन्टी के विरुद्ध तीन से अनधिक मासिक किश्तों द्वारा संदाय अनुज्ञात कर सकेगा ।

(9) से (10) XXX XXX XXX

34. चैक पोस्टों या बैरिअरों की स्थापना और अभिवहन में माल का निरीक्षण.—(1)

से (5) XXX XXX XXX

(6) यदि चौक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी या उप-धारा (2) में वर्णित अन्य अधिकारी के पास यह सन्देह करने के कारण हो कि परिवहन के अधीन माल कारबार के लिए है और, यथास्थिति, उप-धारा (2) या उप-धारा (4) में यथावर्णित समुचित और वास्तविक दस्तावेजों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, या माल वहन करने वाला व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन देय कर के संदाय का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है, तो वह कारण अभिलिखित करते हुए और उक्त व्यक्ति को सुनने के पश्चात् परन्तु बैरिअर के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन ऐसी अवधि के लिए जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, माल को उतारने और निरुद्ध रखने का आदेश कर सकेगा और कर की रकम सुनिश्चित करने के लिए, माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि अथवा माल के स्वामी की ओर

से यान या जलयान के चालक अथवा अन्य भारसाधक व्यक्ति द्वारा, ऐसी रकम के लिए जो माल के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो किन्तु जो माल के मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से कम नहीं होगी, विहित प्ररूप और रीति में, प्रतिभूति सहित या रहित, उसकी तुष्टि की प्रतिभूति देने या बन्ध पत्र निश्पादित करने पर ही उसे वहन करना अनुज्ञात करेगा:

परन्तु जहां किसी माल को निरुद्ध किया जाता है, वहां माल निरुद्ध करने वाले अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, जिला के प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला या बैरिअर के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को तुरन्त या किसी भी दशा में माल निरुद्ध करने के चौबीस घण्टे के भीतर, रिपोर्ट की जाएगी, जब कभी माल को चौबीस घण्टे से अधिक की किसी अवधि के लिए निरुद्ध करना अपेक्षित हो तो इसके पश्चात् कथित की अनुज्ञा मांगी जाएगी और यदि पश्चात् कथित से कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो पहला यह धारणा कर सकेगा कि उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है।

(7) से (12) XXX XXX XXX

45. अपील.—(1) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन पारित प्रत्येक मूल आदेश से, अपील निम्नलिखित को होगी:—

(क) यदि आदेश किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा या चौक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जो आवकारी एवं कराधान अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा किया जाता है, तो उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त का;

(ख) यदि आदेश उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा किया जाता है, तो आयुक्त या राज्य मुख्यालय में तैनात अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त को; और

(ग) यदि आदेश आयुक्त या अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त या आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है तो अधिकरण को ।

(2) उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त या अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अथवा किसी अधिकारी, जिस पर आयुक्त की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, द्वारा अपील में पारित आदेश, आगे अधिकरण को अपीलीय होगा ।

(3) से (6) XXX XXX XXX

51. अपराधों का शमन.—(1) आयुक्त या अन्य अधिकारी, जो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त से नीचे की पंक्ति का न हो, या जिला का प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी धारा 50 या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कार्यवाहियां संस्थित करने से या तो पूर्व या पश्चात, ऐसे अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति से, अपराध के शमन स्वरूप कर की रकम के दो गुणा के बराबर धन राशि स्वीकार कर सकेगा, जो विक्रयों या क्रयों के आवर्त पर, जिससे कि अपराध सम्बन्धित हों, संदेय होती, जो भी अधिकतर हो ।

(2) ऐसी रकम के संदाय पर, जो उप-धारा (1) के अधीन अवधारित की जाए, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध उसी अपराध की बाबत कोई और कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी और कोई कार्यवाहियां, यदि पहले की गई है, उपशमनीत (समाप्त) हो जाएंगी ।

56. विवरणियों आदि का गोपनीय होना.—(1) से (2) XXX XXX XXX

(3) इस धारा की कोई भी बात—

(क) इस अधिनियम या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी वचन, विवरणी, लेखे, दस्तावेज, साक्ष्य, शपथ-पत्र या अभिसाक्ष्य की बाबत ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के; या

(ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम के प्रशासन से न्यस्त किसी व्यक्ति को ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के; या

(ग) जब ऐसा प्रकटीकरण किसी नोटिस या समन की तामील अथवा किसी मांग की वसूली के लिए जब इस अधिनियम के अधीन किसी प्रकिया के विधि पूर्ण नियोजन द्वारा हुआ हो, तो ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के; या

(घ) किसी न्यायालय को किसी वाद में, जिसमें राज्य सरकार का आबकारी एवं कराधान विभाग या उक्त विभाग का कोई अधिकारी पक्षकार है और जो इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले किसी विषय से सम्बन्धित है की ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के; या

(ङ) इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित कर की रसीदों या प्रतिदाय को लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किसी अधिकारी को ऐसी किन्हीं ऐसी विशिष्टियों के; या

- (च) ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के, जहां ऐसी विशिष्टियां सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग के किसी पदधारी के आचरण की किसी जांच में सुसंगत है, लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के अधीन आयुक्त द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को अथवा संविधान के अधीन स्थापित लोक सेवा आयोग को जब ऐसी जांच से उत्पन्न किसी विषय के सम्बन्ध में अपने कृत्यों का प्रयोग किया जा रहा हो; या
- (छ) केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी को दी गई विवरणी में या इस अधिनियम के अधीन पारित किसी निर्धारण आदेश में अवधारित दर्शाए गए वार्षिक सकल आवर्त के, जो उस सरकार को इस द्वारा अधिरोपित किसी कर या शुल्क के उद्ग्रहण या वसूली के प्रयोजन के लिए समर्थ बनाने को आवश्यक हो; या
- (ज) ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के, जो किसी आयकर व्यवसायी या किसी अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी निर्धारिती का प्रतिनिधित्व करता है, के विरुद्ध आचरण के आरोप की किसी जांच में, सुसंगत है; या
- (झ) हिमाचल प्रदेश सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक को ऐसी किन्हीं विशिष्टियों के, जो किसी वस्तु पर कर के भार की गणना करने में या व्यापार, वस्तु या ब्यौहारी का कोई सांख्यिकीय सर्वेक्षण करने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो; और
- (ञ) कम्प्यूटरीकरण द्वारा डाटा तैयार करने तैयार की जाने के प्रयोजन के लिए ऐसी किन्हीं विशिष्टियों; के प्रकटीकरण को लागू नहीं होगी :

परन्तु खण्ड (क), (च) और (छ) में उल्लिखित सूचना सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के भारसाधक आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा तभी प्रकट किए जाने के लिए अनुज्ञात की जा सकेगी, जब इस निमित्त किए गए आवेदन की छानबीन के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, उसका समाधान हो जाता है कि प्रकटीकरण इस उप-धारा के अधीन अनुज्ञेय है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 38 OF 2024

**THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT)
BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT)
BILL, 2024**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 21.
3. Amendment of section 34.
4. Amendment of section 45.
5. Amendment of section 51.
6. Amendment of section 56.

**THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX
(AMENDMENT) BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act,
2005 (Act No. 12 of 2005).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in
the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2024. Short title.

5 2. In the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the “principal Act”), in section 21, in sub-section 8, for the proviso, the following shall be substituted, namely:— Amendment of section 21.

10 “Provided that the Assessing Authority may, with the prior approval of the Joint Commissioner, State Taxes and Excise (Taxpayer Services, Enforcement and Allied Taxes) of the concerned Zone, extend the date of such payment, but not more than ninety days, or allow payment by monthly installments not exceeding three, against an adequate security or a bank guarantee.”.

15 3. In section 34 of the principal Act, in sub-section (6), for the proviso, the following shall be substituted, namely:— Amendment of section 34.

“Provided that where any goods are detained a report shall be made immediately and in any case within twenty four hours of the detention of the goods by the officer detaining the goods to the Joint Commissioner, State Taxes and Excise (Taxpayer Services,

Authenticated
[Signature]
Chief Minister
Himachal Pradesh

Enforcement and Allied Taxes) of the concerned Zone, seeking the later's permission for the detention of the goods for a period exceeding twenty-four hours, as and when so required and if no intimation to the contrary is received from the later the former may assume that his proposal has been accepted.”.

5

Amendment
of section
45.

4. In section 45 of the principal Act,—

- (i) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

“(1) An appeal from every original order passed under this Act or rules made thereunder shall lie—

10

- (a) if the order is made by an Assessing Authority or by an Officer-in-Charge of the check post or barrier or any other officer not below the rank of the State Taxes and Excise Officer to the Joint Commissioner, State Taxes and Excise (Taxpayer Services, Enforcement and Allied Taxes);

15

- (b) if the order is made by the Joint Commissioner, State Taxes and Excise to the Commissioner or the Additional Commissioner, State Taxes and Excise, posted at the State Headquarters;

20

- (c) if the order is made by the Commissioner or the Additional Commissioner, State Taxes and Excise posted at State Headquarter, exercising the powers of the Commissioner, to the Tribunal.”; and

- (ii) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

25

“(2) An order passed in appeal by a Joint Commissioner, State Taxes and Excise (Taxpayer Services, Enforcement and Allied Taxes) or by the Additional Commissioner, State Taxes and Excise posted at the

30

State Headquarters or by the Commissioner or any officer, on whom the powers of the Commissioner are conferred, shall be further appealable to the Tribunal.”.

5 5. In section 51 of the principal Act, for sub-section(1), the following shall be substituted, namely:— Amendment
of section
51.

10 “(1) The Commissioner or any other officer not below the rank of Assistant Commissioner (GST and Allied Taxes) of the concerned circle may, either before or after the institution of proceedings for any offence punishable under section 50 or under any rule made under this Act, accept from any person accused of such offence by way of composition of offence a sum of money equal to double the amount of tax which would have been payable on the turnover of sales or purchases to which the said offence relates, whichever is greater.”.

15 6. In section 56 of the principal Act, in sub-section (3), for the proviso after clause (j), the following shall be substituted, namely:— Amendment
of section
56.

20 “Provided that the information mentioned in clauses (a), (f) and (g) may be permitted to be disclosed by the Joint Commissioner, State Taxes and Excise (Taxpayer Services, Enforcement and Allied Taxes) of the concerned Zone only when he is satisfied, after scrutiny of the request made in this behalf and after such enquiries as he considers necessary, that the disclosure is admissible under this sub-section.”.

25

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Restructuring of the State Taxes and Excise Department has been carried out by the Government vide notifications No. EXN-B(1)-1/2021 dated 19-01-2024, of even number dated 29-01-2024 and dated 29-08-2024 into two wings viz. Excise Wing and GST Wing.

Consequent upon the restructuring of the Department now, the newly formed GST/ Allied Taxes Wing has three tier structure (Headquarters-GST Zone-GST Circle) instead of old four tier structure(Headquarters-Zone-District-Circle). As a result of it the post of District-in-Charge no longer exists in GST Wing/Allied Tax wing structure, hence, amendments in the Act are required in order to align with the restructuring of the Department.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)

Chief Minister.

Authenticated



Chief Minister
Himachal Pradesh

DHARAMSHALA:
THE....., 2024.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)

Chief Minister.

Authenticated .



Chief Minister

Himachal Pradesh

(SHARAD KUMAR LAGWAL)

Secretary (Law).

DHARAMSHALA:

THE....., 2024.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX ACT, 2005 (ACT NO. 12 OF 2005) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Sections:

21. Assessment of tax.—(1) to (7) XXX XXX XXX

(8) The amount of any tax, penalty or interest payable under this Act shall be paid by the dealer by such date as may be specified in the notice issued by the Assessing Authority for the purpose and the date so specified shall not be less than fifteen days and not more than thirty days from the date of service of such notice:

Provided that the Assessing Authority may, with the prior approval of the Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer in-charge of the district, extend the date of such payment, but not more than 90 days, or allow payment by monthly installments not exceeding three, against an adequate security or a bank guarantee.

(9) and (10) XXX XXX XXX

34. Establishment of check-posts or barriers and inspection of goods in transit.—

(1) to (5) XXX XXX XXX

(6) If the officer-in-charge of the check post or barrier or other officer as mentioned in sub-section (2) has reasons to suspect that the goods under transport are meant for business and are not covered by proper and genuine documents as mentioned in sub-section (2) or sub-section (4), as the case may be, or that the person transporting the goods is attempting to evade payment of tax due under this Act, he may, for reasons to be recorded in writing and after hearing the said person, but subject to previous approval of the Excise and Taxation Officer Incharge of the barrier order the unloading or detention of the goods, for such period as may reasonably be necessary and shall allow the same to be transported only on the owner of goods or his representative or the driver or other person in-charge of the goods carriage or vessel on behalf of the owner of the goods, furnishing to his satisfaction a security in the form of cash or bank guarantee or bank draft, equal to twenty-five percentum of the value of the goods.

Provided that where any goods are detained a report shall be made immediately and in any case within twenty four hours of the detention of the goods by the officer detaining the

goods to the Assistant Excise and Taxation Commissioner incharge of the District or the Excise and Taxation Officer incharge of the District or barrier, as the case may be, seeking the latter's permission for the detention of the goods for a period exceeding twenty-four hours, as and when so required and if no intimation to the contrary is received from the latter the former may assume that his proposal has been accepted.

(7) to (12) XXX XXX XXX

45. Appeal.—(1) An appeal from every original order passed under this Act or rules made thereunder shall lie—

- (a) if the order is made by an Assessing Authority or by an officer-in-charge of the check post or barrier or any other officer not below the rank of the Excise and Taxation Officer, to the Deputy Excise and Taxation Commissioner;
- (b) if the order is made by the Deputy Excise and Taxation Commissioner, to the Commissioner or the Additional Excise and Taxation Commissioner, posted at the State Headquarters;
- (c) if the order is made by the Commissioner or the Additional Excise and Taxation Commissioner posted at the State Headquarters any officer exercising the powers of the Commissioner, to the Tribunal

(2) An order passed in appeal by a Deputy Excise and Taxation Commissioner or by the Additional Excise and Taxation Commissioner posted at the State Headquarters or by the Commissioner or any officer, on whom the powers of the Commissioner are conferred, shall be further appealable to the Tribunal.

(3) to (6) XXX XXX XXX

51. Compounding of offences.—(1) The Commissioner or any other officer not below the rank of Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer-Incharge of the district may, either before or after the institution of proceedings for any offence punishable under section 50 or under any rule made under this Act, accept from any person accused of such offence by way of composition of offence a sum of money equal to double the amount of tax which would have been payable on the turnover of sales or purchases to which the said offence relates, whichever is greater.

(2) On payment of such sum as may be determined under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the accused person in respect of the same offence and any proceedings, if already taken, shall stand abated.

56. Returns etc. to be confidential.—(1) to (2) XXX XXX XXX

(3) Nothing contained in this section shall apply to the disclosure—

- (a) of any such particulars in respect of any such statement, return, accounts, document, evidence, affidavit or deposition for the purpose of any prosecution under this Act or the Indian Penal Code, 1860; or
- (b) of any such particulars to any person entrusted with the administration of this Act for the purposes of carrying out the objects of this Act; or
- (c) of any such particulars when such disclosure is occasioned by the lawful employment under this Act of any process for the service of any notice or summons or the recovery of any demand; or
- (d) of any such particulars to a civil court in any suit to which the State Government in the Excise and Taxation Department or any officer of the said Department is a party and which relates to any matter arising out of any proceeding under this Act; or
- (e) of any such particulars to any officer appointed to audit receipts or refunds of the tax imposed by this Act; or
- (f) of any such particulars where such particulars are relevant to any enquiry into the conduct of an official of the Excise and Taxation Department of the State Government to any person or persons appointed by the Commissioner under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850, or to any officer otherwise appointed to hold such inquiry or to a Public Service Commission established under the Constitution when exercising its functions in relation to any matter arising out of such inquiry; or
- (g) of the annual gross turnover, shown in any return furnished or determined in any assessment order passed under this Act, to any officer of the Central or any State Government, as may be necessary for the purpose of enabling that Government to levy or realise any tax or duty imposed by it; or

- (h) of any such particulars which are relevant to any inquiry into the charge of misconduct, against an income- tax practitioner or other person who represents any assessee before any Authority in any proceeding under this Act; or
- (i) of any such particulars to the Director of Economics and Statistics Department of the State Government as may be necessary for enabling him to work out the incidence of tax on any commodity or for carrying out any statistical survey of trade, commodity or dealer; and
- (j) of any such particulars for the purpose of preparing data by computerization:

Provided that the information mentioned in clauses (a), (f) and (g) may be permitted to be disclosed by the Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer, In-charge of the District only when he is satisfied, after scrutiny of the request made in this behalf and after such enquiries as he considers necessary, that the disclosure is admissible under this sub-section.